

नियम 80 : सत्यापन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति

शपथपत्र अधिवक्ता या नोटरी के समक्ष शपथ या पुष्टि किए जाएंगे, जो अपनी आधिकारिक मुहर लगाएगा।
